

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठारी अधिकारी :- करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.ए.

अपील संख्या 2012/00422 (173/2012) 75 एलआरएक्ट
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- अपीलान्त

बनाम


1. मखन सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जटसिख सा० तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
 2. वजीर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति रायसिख सा० तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 01.12.2011
प्रकरण संख्या 91/2011 बअनवानी मखन सिंह बनाम वजीर सिंह
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पों सं० 1

निर्णय

दिनांक - 26.07.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोंडेंट सं० 1 ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद जारी करने बाबत शीर्षक से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 5 टीएलडब्ल्यू के प० नं० 225/287 किला नं. 16 ता 19, 24, 25 की कुल 1.518 है० भूमि को आवंटी वजीर सिंह से जरिये बैयनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन किया। अधीनस्थ नयायालय ने


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



अपीलाधीन आदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी कर सारोचक अधिकार प्रदान किये जिससे व्यक्ति होकर अपीलाष्ट के सब अपील पेश की है।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
2. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाष्ट के अपील भीमे एवं प्राथमा-पत्र अन्तर्गत धारा-5 शिवात अधिनियम के विन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेसपोडेण्ट ने अपीलाष्ट न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद कराना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेवान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी स्तर में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए थे एवं विक्रय वित्तोच्च भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेसपोडेण्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने भियाद विन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर भियाद है। जिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाष्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. रेसपोडेण्ट सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट

Leave
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव-6/2011/32/जी.एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काशत के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की। आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

5. अपील देशी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हरताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काशत की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकाशी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दरस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलापट खारिज की जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।
7. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख भियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलापट अन्दर भियाद शुमार की जाती है।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2066 से 69 तक 5 टीएलडब्ल्यू के प0 नं0 225/287 किला नं. 16 ता 19, 24, 25 की कुल 1.518 है0 भूमि को आवंटी वजीर सिंह के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। रेसपोडेण्ट सं0 1 ने प्रश्नगत आराजी को जरिये बैयनामा दिनांक 09.02.1971 मूल आवंटी से खरीद की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार बैयनामा के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। प्रार्थी ने बैयनामा नियमन की परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुसार निर्धारित जमा करवा दी है। धारा 42 का उल्लंघन नहीं पा गया है प्रकरण को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष रखा गया आवंटन सलाहकार समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रश्नगत रकबे के नियमन के आदेश पारित किये गये हैं। कमेटी के सदस्य के रूप में स्वयं तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। अपीलाण्ट ने उक्त तथ्यों के विपरीत अन्य कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दायित्व दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.07.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सर



इंजलास सुनाया गया ।

26/7/23
करतार सिंह पन्नाकाशी
राजस्थान अधिकांश
हनुमानगढ़
राजस्थान अधिकांश
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़